भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2689

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन,1946, (शक)

पीएम-एसवाईएम

2689. श्री मलैयारासन डी.;

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में आज की तिथि तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) लाभार्थियों की कुल संख्या और उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में पीएम-एसवाईएम के पंजीकरण और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में वित्तीय संस्थानों और डाकघरों की भूमिका क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितने श्रमिकों को उनके पेंशन खातों से जोड़ा गया है; और

(ग) तमिलनाडु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए के समुदायों के कितनी महिला श्रमिक और श्रमिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और सरकार द्वारा उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) योजना की शुरुआत फरवरी, 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने हेतु की गई। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत व्यापारियों, दुकानदारों और स्वनियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष की आयु के कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या उससे कम है तथा जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य या आयकरदाता नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान राशि 55/- रुपये से लेकर 200/- रुपये तक होती है, जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करती है। योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा भी समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन, सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से किया जाता है जिसका देशभर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त, पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्वयं नामांकन भी कर सकते हैं।

....जारी पष्ठ 2/-

दिनांक 05.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, पीएम-एसवाईएम योजना के तहत पंजीकृत असंगठित कामगारों की कुल संख्या 51.19 लाख से अधिक है। तमिलनाडु में पंजीकरण 69,050 है जिसमें से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 36055, 12217 और 1003 है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें और सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है, योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान और नीति के साथ पारस्परिक चर्चा करता है।

मंत्रालय ने कल्याण आयुक्त और दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड के माध्यम से देश भर में जागरूकता सह पंजीकरण शिविरों का भी आयोजन किया।

*****